प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 08.09.2025

- **थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा धर-पकड़ अभियान के तहत मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 नफर शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से/निशांदेही पर 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.09.2025 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला अस्पताल से करीब 30 कदम पहले मोड़ के पास से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण 1. दीपक कश्यप पुत्र स्व0 संतोष कश्यप निवासी गुड़गांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, हाल-पता किराए का मकान नबीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, 2. समरजीत उर्फ प्रवेन्द्र यादव पुत्र ओम सिंह यादव निवासी नबीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया तथा कड़ाई के साथ पूछताछ करने पर अभियुक्तगण की निशानदेही पर आघू बम्बा जैनपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात से करीब 300 मीटर आगे झाडियों में से 04 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 410/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस 2023 व 35(1) बीएनएसएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों मिलकर मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जब कुछ चोरी की मोटरसाइकिलें इकट्ठा हो जाती हैं तो उन्हें कबाड़ियों की दुकान पर ले जा कर बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसको आपस में बांट कर अपना खर्च चलाते हैं। जो मोटरसाइकिलें हमारे पास से बरामद हुई हैं, उनमें से 04 मोटरसिकलें हमने अकबरपुर के आस-पास से चोरी की थी और पांचवी मोटरसाइकिल पल्सर एन 150 कहां से और किस तारीख को चुराई थी इसके बारे में कुछ याद नहीं है।

बरामदगी का विवरणः-

1. मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर प्रो नं0 UP78 JE 6794 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 387/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0)
2. मोटरसाइकिल प्लैटिना 110 सीसी नं0 UP77 AK 1793 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 399/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0)
3. मोटरसाइकिल पल्सर 125 सीसी न0 UP77 AR 1868 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 384/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0)
4. मोटरसाइकिल प्लैटिना 110 सीसी संख्या UP35 AW 5852 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 403/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0)
5. मोटरसाइकिल पल्सर एन 150 रंग काला चेसिस नं0 MD2C41CX0RPB50935 रजिस्ट्रेशन नंबर UP77 AS 2464 व इंजन नंबर PDXPRB76714

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. दीपक कश्यप पुत्र स्व0 संतोष कश्यप उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी गुड़गांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हालपता किराए का मकान नबीपुर, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात,
2. समरजीत उर्फ प्रवेन्द्र यादव पुत्र ओम सिंह यादव उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी नबीपुर, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 387/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0।
2. मु0अ0सं0 384/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0।
3. मु0अ0सं0 399/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0।
4. मु0अ0सं0 403/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0।
5. मु0अ0सं0 410/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस 2023 व 35(1) बीएनएसएस 2023 थाना अकबरपुर का0दे0।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अकबरपुर पुलिस